

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य स्तरपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग किमी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	(ख) 2014 (अनुमान)	0.70 करोड़
3	(क) जनसंख्या की संघनता (2001) (अखिल भारतीय संघनता=325 व्यक्ति/वर्ग किमी०) (ख) जनसंख्या की संघनता (2011) (अखिल भारतीय औसत-382 व्यक्ति/वर्ग किमी०)	109 व्यक्ति/वर्ग किमी० 123 व्यक्ति/वर्ग किमी०
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 30%)	10.90%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)	76.50% 82.80%
6	(क) शिशु मृत्यु दर (2013) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 40) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2009-13) (अखिल भारतीय औसत = 67.5)	35 71
7	गिनी गुणांक (2009-10) (शहरी-ग्रामीण जनसंख्या) (क) ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29) (ख) शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)	0.31 0.40
8	सकल राज्य धरेलू उत्पाद 2014-15	95,587
9	सकल राज्य धरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2005-06 से 2014-15)	15.02

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर				
		2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15
		सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य
क	राजस्व प्राप्तियां	13.72	11.54	15.34
ख	कर राजस्व	16.00	16.62	13.19
ग	कर-भिन्न राजस्व	10.67	12.62	(-) 6.78
घ	कुल व्यय	13.86	13.24	20.99
ड.	पूँजीगत व्यय	11.36	10.73	26.12
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.09	14.84	17.68
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.70	12.21	23.67
ज	वेतन एवं मजदूरी	16.40	14.72	4.52
झ	पेंशन	19.95	19.86	14.94
				2.07

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना सूचना (2011), गरीबी की माप के लिए पद्धति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगाराजन) का प्रतिवेदन, योजना आयोग, एस आर एस बुलेटिन, 2014-15 आर्थिक सर्वे, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट-1.1

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2014-15 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

रूपरेखा	
खण्ड I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि) अनुलग्नक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार द्वारा दिए गये निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखाओं पर टिप्पणी
खण्ड II	

भाग I: विस्तृत विवरणी

विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 18	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिन्हित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी

भाग II: परिशिष्ट	
I	मुख्य शीर्षों द्वारा वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता (स्कीमवार व संस्थावार)
IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
V	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय व राज्य योजनागत स्कीमें)
VI	राज्य में कार्यान्वयन अधिकारियों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां)
VII	विवरणी 16 एवं 21 में दर्शाये अंत शेष के संबंध में शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं-अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों की सूची
X	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमें
XII	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

परिशिष्ट-1.2

भाग-क

राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2010-15 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अभ्युक्तियां की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्पादकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रखे रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2004-05 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्पादकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)	56,980	66,448	76,259	85,841	95,587
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	18.24	16.62	14.76	12.57	11.35
स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।					

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य धरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1] *100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)2]* 100
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतर्शेष)2] *100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां घटा मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया हैं:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को खत्म करना तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना तथा उसके पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर तक अथवा उससे कम पर बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2014-15 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40.10 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1, 1.3, 1.9.2 तथा 1.11.3; पृष्ठ: 1, 8, 27 व 39)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	12,711	14,543	15,598	15,711	17,843
(i) कर राजस्व	3,643(29)	4,108 (28)	4,626 (30)	5,121 (33)	5,940(33)
विक्री, व्यापार आदि पर कर	2,101(58)	2,477 (60)	2,728 (59)	3,141 (61)	3,661(62)
राज्य आबकारी	562(15)	707 (17)	810 (18)	952 (19)	1,044(18)
वाहनों पर कर	163(4)	176 (4)	196 (4)	208 (4)	220(4)
स्टाप्प एवं पंजीकरण फीस	133(4)	155 (4)	173 (4)	188 (4)	190(3)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	302(8)	185 (5)	262 (6)	191 (4)	333(5)
भू-राजस्व	5(0.1)	18 (11)	24 (-)	10 (-)	17(-)
माल व यात्रियों पर कर	93(3)	94 (2)	101 (2)	105 (2)	110(2)
अन्य कर	284(8)	296 (7)	332 (7)	326 (6)	365(6)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,695(13)	1,915 (13)	1,377 (9)	1,785 (11)	2,081(12)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	1,715(13)	1999 (14)	2,282(14)	2,491 (16)	2,644(15)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	5,658(45)	6,521 (45)	7,313 (47)	6,314 (40)	7,178(40)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां	646	--	-	-	650
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	73	25	21	17	41
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	13,430	14,568	15,619	15,728	18,534
5. लोक ऋण प्राप्तियां	2,411	1,984	3,371	4,050	10,877
अंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	2,372 (98)	1,904 (96)	3,239 (96)	3,362(83)	3,892 (36)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	--	-	629(16)	6,860 (63)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	39	80 (4)	132 (4)	59(1)	125(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	15,841	16,552	18,990	19,778	29,411
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	8,507	9,237	9,146	10,300	10,575
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	24,348	25,789	28,136	30,078	39,986
भाग ख. व्यवसंवितरण					
10. राजस्व व्यव	13,946	13,898	16,174	17,352	19,787
योजनागत	1,652(12)	1,701 (12)	2,079 (13)	2,387 (14)	3,204(16)
आयोजनेतर	12,294(88)	12,197(88)	14,095 (87)	14,965 (86)	16,583(84)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	5,279(38)	5,690 (41)	6,618 (41)	7,047 (41)	7,604(38)
सामाजिक सेवाएं	4,979(35)	5,147 (37)	6,131 (38)	6,706 (39)	7,451(38)
आर्थिक सेवाएं	3,682(26)	3,049 (22)	3,418 (21)	3,590 (20)	4,723(24)
सहायता अनुदान व अंशदान	6(--)	12 (--)	7 (-)	9 (-)	9(-)
11. पूँजीगत व्यव	1,789	1,810	1,955	1,856	2,473
योजनागत	1,774(99)	1,764 (97)	1,859 (95)	1,815 (98)	2,431(98)
आयोजनेतर	15(1)	46 (3)	96 (5)	41 (2)	42(2)
सामान्य सेवाएं	73(4)	73 (4)	74 (4)	81 (4)	83(3)
सामाजिक सेवाएं	611(34)	372 (21)	436 (22)	478 (26)	522(21)
आर्थिक सेवाएं	1,105(62)	1,365 (75)	1,445 (74)	1,297 (70)	1,868(76)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	227	493	469	531	474
13. योग (10+11+12)	15,962	16,201	18,598	19,739	22,734

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
14. लोक ऋण की चुकौतियां	870	1,128	2,117	1,704	8,260
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	808	1,034	2,056	1,467	1,410
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	-	172	6,783
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	62	94	61	65	67
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	16,832	17,329	20,715	21,443	30,994
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	7,162	8,526	8,285	9,227	8,844
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	23,994	25,855	29,000	30,670	39,838
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-)1,235	(+) 645	(-) 576	(-) 1,641*	(-)1,944
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-)2,532	(-) 1,633	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-)582	(+) 497	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. व्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,950	2,130	2,370	2,481	2,849
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	849	981	1,203	1,438	2,156
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	--	--	-	629	6,860
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	--	--	-	10	77
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	--	--	-	01	48
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर व्याज	--	--	-	0.11	14.80
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®]	56,980 (18.24)	66,448 (16.62)	76,259 (14.76)	85,841 (12.57)	95,587 (11.35)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	26,415	28,228	30,442	33,884	38,192
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (व्याज सहित)	3,910	3,316	3,353	4,333	4,281
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,232	6,208	9,455	9,316	9,316
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	11	13	12	12	13
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	86	930	115	130	141
भाग ड : राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता (अनुपात)					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.28	0.24	0.24	0.23	0.24
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.26	1.11	1.19	1.26	1.27
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.87	0.86	0.86	0.88	0.87
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.34	0.35	0.36	0.35

* वास्तविक ₹ 1641.42 करोड़ (पूर्णांक के कारण अन्तर)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.30	0.27	0.26	0.25	0.29
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11
III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य धरेलू उत्पाद	0.46	0.42	0.40	0.39	0.40
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	2.07	1.94	1.95	2.16	2.14
मात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(-)0.21	0.20	(-)0.30	(-)0.93	(-)1.03
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज़)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.88	1.05	1.02	0.89	0.91
IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (₹करोड़)	64.11	85.65	100.09	103.42	170.99
चालू राजस्व से शेष (₹करोड़)	(-)2,607	(-) 1,529	(-)3,284	(-)3,544	(-) 4,719
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं (अनुपात)	0.66	0.70	0.70	0.68	0.67
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.49	NA	0.19	0.41	0.46
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य धरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.01	0.04	0.02	0.008	0.008
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
कुल व्यय (₹ करोड़)	15,962	16,201	18,598	19,739	22,734
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.25	1.50	14.80	6.14	15.17
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	13,946	13,898	16,174	17,352	19,787
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.06	(-) 0.34	16.38	7.28	14.03
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	12,294	12,197	14,095	14,965	16,583
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	24.01	(-) 0.79	15.56	6.17	10.81
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	1,652	1,701	2,079	2,387	3,204
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	33.44	2.97	22.22	14.81	34.23
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य धरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	21.58	18.36	18.48	17.43	17.35
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	87.37	85.78	86.97	87.91	87.04
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	77.02	75.29	75.79	75.81	72.94
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	10.35	10.50	11.18	12.09	14.09
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	96.72	83.87	90.36	95.25	92.94
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	88.15	87.76	87.15	86.24	83.81
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	11.85	12.24	12.85	13.76	16.19
के साथ राजस्व व्यय की उत्पादकता					
सकल राज्य धरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.37	(-) 0.02	1.11	0.58	1.24
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.09	(-) 0.02	2.26	10.11	1.03
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.04	(-) 0.43	1.05	1.18	1.30
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.75	(-) 0.12	0.74	0.49	0.41

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांकित) दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भः परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

भाग-क

वर्ष 2014-15 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़)

प्राप्तियां					संवितरण					
	2013-14	2014-15			2013-14	2014-15	गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियां		15,711.07		17,843.45	I-राजस्व व्यय	17,352.49			19,787.05	19,787.05
(i) कर राजस्व	5,120.91		5,940.16		सामान्य सेवाएं	7,046.82	7,534.33	69.32	7,603.65	
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,784.53		2,081.45		सामाजिक सेवाएं	6,706.12	5,734.51	1,717.01	7,451.52	
(iii) संघीय कारों एवं शुल्कों का राज्योंश	2,491.53		2,644.17		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,616.69	3,434.33	709.54	4,143.87	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	2,024.82		1,199.03		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,001.30	890.00	347.18	1,237.18	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	3,764.88		4,332.60		जलाधार्हता, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,075.76	863.13	198.38	1,061.51	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	524.40		1,646.04		सूचना एवं प्रसारण	30.35	28.89	0.44	29.33	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	55.65	11.19	43.94	55.13	
					श्रम एवं श्रम कल्याण	65.59	79.35	13.16	92.51	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	845.56	409.85	384.80	794.65	
					अन्य	15.22	17.77	19.57	37.34	
					आर्थिक सेवाएं	3,590.46	3,305.26	1,417.49	4,722.75	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1,422.49	859.60	667.36	1,526.96	
					ग्रामीण विकास	436.94	356.16	539.50	895.66	
					सिंचाइ एवं बाइ निर्वन्त्रण	303.01	322.62	37.33	359.95	
					ऊर्जा	26.54	394.71	12.83	407.54	
					उद्योग एवं खनिज	64.54	35.61	41.38	76.99	
					परिवहन	1,256.76	1,288.29	64.45	1,352.74	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.31	2.68	4.01	6.69	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	73.87	45.57	50.65	96.22	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	9.09	9.13	-	9.13	
योग		15,711.07		17,843.45	योग	17,352.49	16,583.22	3,203.83	19,787.05	
II-प्रवर्ग-ख में लाया गया राजस्व घटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	(-) 1,641.42			(-) 1,943.60	
योग		15,711.07		17,843.45	योग	15,711.07			17,843.45	

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियां					संवितरण					
	2013-14		2014-15			2013-14	2014-15			
1.	2.	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
प्रबंग- ख-पूँजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		(-) 295.05		(-) 887.30	III-भारतीय रिजर्व बैंक से अथ अधिविकार्य	-				
IV- विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-			650.00	IV-पूँजीगत परिव्यय	1,855.86				2,472.89
					सामान्य सेवाएं	81.02	4.40	78.41	82.81	
					सामाजिक सेवाएं	477.45	2.27	519.70	521.97	
					शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	174.22	-	130.96	130.96	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	72.91	1.27	61.00	62.27	
					जलाधार्मिक स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	210.56	-	309.92	309.92	
					सूचना एवं प्रसारण	0.57	1.00	0.25	1.25	
					अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14.01	-	9.69	9.69	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	5.05	-	7.83	7.83	
					अन्य	0.13	-	0.05	0.05	
					आर्थिक सेवाएं	1,297.39	35.40	1,832.7 1	1,868.11	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	46.95	(-) 6.24	39.55	33.31	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	-	-	0.63	0.63	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	194.22	-	506.08	506.08	
					ऊर्जा	219.75	-	308.23	308.23	
					उद्योग एवं खनिज	16.40	-	39.26	39.26	
					परिवहन	740.05	41.64	851.10	892.74	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	80.02	-	87.86	87.86	
					योग	1,855.86	42.06	2,430.8 3	2,472.89	
V-ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		16.75		40.56	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	531.05				474.19
विद्युत परियोजनाओं से	-		-		विद्युत परियोजनाएं	467.22	-	404.11		
सरकारी कर्मचारियों से	10.33		9.40		सरकारी कर्मचारियों को	8.32	-	7.27		
सहकारिता से	4.62		28.24		सहकारिता को	-	-	44.29		
अन्य से	6.42		2.92		अन्य को	55.51	-	18.52		
VI-कम किया गया राजस्व अधिशेष		(-) 1,641.42		(-) 1,943.60	VI-कम किया गया राजस्व घाटा		-	-	-	-

प्राप्तियां					संवत्तरण					
	2013-14		2014-15			2013-14	2014-15			
1.	2.	3	4.	5	6	7	गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
VII-लोक ऋण प्राप्तियां		4,050.70		10,876.88	VII-लोक ऋण की चुकौती	1,704.27			8,259.82	8,259.82
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्वित आंतरिक ऋण	3,362.88		3,891.27		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्वित आंतरिक ऋण	1,466.59		1,410.64		
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	628.57		6,680.30		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	172.58		6,782.62		
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	59.25		125.31		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती	65.20		66.56		
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-		-	-	
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि					IX-आकस्मिकता निधि से व्यय					
X-लोक लेखा प्राप्तियां		10,300.27		10,574.80	X-लोक लेखा संवितरण	9,227.37			8,843.76	8,843.76
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2,772.28		3,152.87		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	1,885.61		1,967.70		
आरक्षित निधियां	152.59		160.73		आरक्षित निधियां	151.50		159.04		
निक्षेप एवं अग्रिम	1972.99		2,221.67		निक्षेप एवं अग्रिम	1,765.56		1,717.82		
उच्चन एवं विविध	498.92		487.07		उच्चन एवं विविध	498.39		458.64		
प्रेषण	4,903.49		4,552.46		प्रेषण	4926.31		4540.55		
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अंतर्शेष अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	(-) 887.30			(-) 739.32	(-) 739.32
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--				
					स्थानीय अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19		0.19		
					रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	(-) 887.49		(-) 739.51		
					रोकड़ शेष निवेश	--		--		
योग:		12,431.25		19,311.34	योग:	12,431.25			19,311.34	

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ 2 व 27)

भाग-ख

31 मार्च 2015 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2015 तक	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय-	22,421.48		24,244.38
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	3,024.83	2,731.65	
अन्य पूँजीगत परिव्यय	19,396.65	21,512.73	
ऋण तथा अग्रिम-	1,913.18		2,346.81
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	1,718.38	2,122.49	
अन्य विकास ऋण	155.89	187.54	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	38.91	36.78	
आरक्षित निधि निवेश			
रोकड़ -	(-) 887.30		(-) 739.32
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	-		
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 887.49	(-) 739.51	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	-	-	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	10,914.15		12,857.75
योग	34,361.51		38,709.62

*प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2014 तक	31 मार्च, 2015 तक
आंतरिक ऋण	22,099.33	24,657.64
ब्याज वाले बाजार ऋण	13,565.33	15,195.97
ब्याजरहित बाजार ऋण	-	-
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	185.92	137.65
नावार्ड से ऋण	1,599.10	1,735.10
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	50.98	62.87
केन्द्र सरकार की एन०एस०एस०एफ० को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,772.09	6,675.64
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	14.05	7.02
अन्य संस्थाओं से ऋण	911.86	843.39
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	1,012.12	1,070.88
आयोजनेतर ऋण	6.72	5.53
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,005.27	1,065.22
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-
अन्य ऋण	0.13	0.13
आकस्मिकता निधि	5.00	5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	8,736.30	9,921.47
निक्षेप एवं अग्रिम	1,808.98	2,312.81
आरक्षित निधियां	226.79	228.48
उच्चत एवं विविध शेष	269.02	297.46
प्रेषण शेष	203.97	215.88
योग	34,361.51	38,709.62

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4; पृष्ठ 5)

लिंग बजटीकरण

1. 100 प्रतिशत आवंटन की सीमा तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों का बजटीय आवंटन

(₹ करोड़)

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	2011-12	--	1.42	1.42	--	1.17
		2012-13	--	1.45	1.45	--	1.45
		2013-14	--	2.82	2.82	--	2.59
		2014-15	--	3.09	3.09	--	2.95
2	जागृति अभियान	2012-13	--	0.12	0.12	--	0.12
		2013-14	--	0.15	0.15	--	0.15
		2014-15	--	0.15	0.15	--	0.14
3	विधवा पुनर्विवाह	2011-12	--	0.31	0.31	--	0.20
		2012-13	--	0.35	0.35	--	0.26
		2013-14	--	0.37	0.37	--	0.37
		2014-15	--	0.32	0.32	--	0.37
4	महिला आयोग	2011-12	--	0.49	0.49	--	0.62
		2012-13	--	0.72	0.72	--	0.72
		2013-14	--	0.69	0.69	--	0.65
		2014-15	--	0.86	0.86	--	0.86
5	सबला पोषण	2011-12	3.21	3.21	6.42	3.21	3.21
		2012-13	6.66	3.00	9.66	6.66	3.00
		2014-15	5.33	7.81	13.14	5.67	7.81
6	सबला-गैर पोषण	2011-12	--	1.82	1.82	--	1.82
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
		2014-15	0.51	--	0.51	0.60	--
7	इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना	2011-12	2.38	--	2.38	2.38	--
		2012-13	0.65	--	0.65	0.65	--
		2014-15	2.95	--	2.95	1.81	--
8	किशोरी शक्ति योजना	2011-12	0.25	--	0.25	0.25	--
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
		2014-15	0.18	--	0.18	0.29	--
9	बलात्कार के पीड़ितों को वित्तीय सहायता	2012-13	--	0.50	0.50	--	0.50
		2013-14	--	0.98	0.98	--	0.98
		2014-15	--	0.75	0.75	--	0.75
10	नैतिक खतरे में महिलाओं को वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के लिए स्कीम	2012-13	--	1.00	1.00	--	1.00
11	राज्य गृह/नारी सेवा सदन	2013-14	--	0.32	0.32	--	0.25
		2014-15	--	0.34	0.34	--	0.23
12	मदर टेरेसा असहाय संबल योजना	2013-14	--	5.98	5.98	--	5.73
		2014-15	--	5.19	5.19	--	5.27
13	सबला	2013-14	3.95	9.62	13.57	3.95	9.62
14	विशेष महिला उत्थान योजना	2013-14	--	0.75	0.75	--	0.15
		2014-15	--	0.75	0.75	--	0.68
15	स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	2014-15	--	2.86	2.86	--	2.68

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
16	महिला विकास निगम	2014-15	--	1.00	1.00	--	1.00
17	महिलाओं के लिए स्वरोजगार	2014-15	--	0.07	0.07	--	0.07
18	महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र	2014-15	--	0.0001	0.0001	--	--
19	बेटी हैं अनपोल योजना	2014-15	--	9.32	9.32	--	9.32
20	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	2014-15	0.36	--	0.36	--	--
21	माता शबरी सशक्तीकरण योजना	2013-14	--	0.66	0.66	--	0.66
		2014-15	--	0.66	0.66	--	0.66
	योग	2012-13	9.27	7.14	16.41	9.27	7.05
		2013-14	3.95	22.34	26.29	3.95	21.15
		2014-15	9.33	32.83	42.16	8.37	40.93

2. महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों को आंशिक बजटीय आवंटन

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मदर टेरेसा मातृ असहाय योजना	2012-13	--	4.24	4.24	--	4.24
		2013-14	--	--	--	--	--
2	विशेष पोषण कार्यक्रम	2012-13	29.66	29.40	59.06	29.66	29.40
		2013-14	29.92	32.40	62.32	29.92	29.92
		2014-15	28.39	32.40	60.79	29.15	32.40
3	माता शबरी सशक्तीकरण योजना	2012-13	--	0.66	0.66	--	0.66
4	एकीकृत शिशु विकास स्कीम	2013-14	154.19	12.69	166.88	147.02	11.93
		2014-15	146.21	16.57	162.78	161.15	15.68
5	बाल/बालिका सुरक्षा योजना	2014-15	--	0.06	0.06	--	0.06
6	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना	2014-15	--	5.87	5.87	--	5.37
7	एकीकृत बाल सुरक्षा स्कीम	2014-15	9.70	0.77	10.47	2.28	0.25
	योग	2012-13	29.66	34.30	63.96	29.66	34.30
		2013-14	184.11	45.09	229.20	176.94	41.85
		2014-15	184.30	55.67	239.97	192.58	53.76

परिशिष्ट-1.6

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 8)

2013-14 एवं 2014-15 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़)

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राशि	
		2014-15	2013-14
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	477.97
	योग	--	477.97
सर्व शिक्षा अभियान	हिप्र० प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	--	114.53
	योग	--	114.53
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एन०आई०टी० डी०ए०च०ई०	एन०आई०आई०टी० हमीरपुर	60.00	29.00
	योग	60.00	29.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी	51.00	107.97
	योग	51.00	107.97
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	57.15
	योग	--	57.15
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हिप्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम	16.53	20.66
	योग	16.53	20.66
ग्रामीण आवास आई०वा०इ०	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	42.27
	योग	--	42.27
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	25.00	37.50
	योग	25.00	37.50
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	5.49
	योग	--	5.49
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	--	6.87
	योग	--	6.87
अस्पताल एवं औषधालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)	हिप्र० में आयुष संस्थानों के विकासार्थ समिति	--	160.77
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित)	--	--
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र)	--	0.46
	योग	--	161.23
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	--	30.49
	योग	--	30.49
ई-गवर्नेंस	ए.च.पी.एम.सी. प्रोसेस ऑटोमेशन	3.94	2.39
	योग	3.94	2.39

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राशि	
		2014-15	2013-14
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एस0टी0डी0 नियंत्रण सहित	हिं0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण समिति	--	11.25
	योग	--	11.25
विस्तार सुधारों हेतु राज्य को सहायता	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश	--	9.39
	योग	--	9.39
कपड़ा उद्योग पार्क के लिए स्कीम (एस.आई.टी.पी.)	हिमाचल कपड़ा उद्योग पार्क सीमित	11.63	--
	योग	11.63	--
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	--	130.81
	योग	--	130.81
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम आई आई यू एस डी आई पी पी	बद्दी अवसंरचना	3.91	--
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	6.14	--
	योग	10.05	--
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन	हिं0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला	--	4.92
	योग	--	4.92
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	--	214.67
	योग	--	214.67
परिवहन सब्सिडी स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	16.24	--
	योग	16.24	--
भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला एवं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान काउंसिल को सहायता सहित मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	10.69	--
	योग	10.69	--
ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	16.37	--
	सुखनीत कृषि उद्योग	0.50	--
	योग	16.87	--
अन्य	--	56.60	206.74
	योग	56.60	206.74
कुल योग		278.55	1,671.30

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 24)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति

क्रमांक	परियोजना का नाम	अनुमानित परियोजना लागत (₹ करोड़)
परियोजनाएं-प्रदान की गई, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन		
परिवहन विभाग		
1.	कांगड़ा बस अड्डा	9.50
2.	आईएस०बी०टी०, शिमला	15
पर्यटन एवं नागरिक उद्घडयन विभाग		
3.	रज्जुमार्ग-सह-स्की केन्द्र, सोलांग नाला	15
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		
4.	हिमाचल प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवा	100
5.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइनोरिटिक इकाइयां	5
6.	हिमाचल प्रदेश में हिमोडायलिसिस इकाइयाँ	5
7.	जे एस एस के ऐन्युलेंस का संचालन एवं रखरखाव	5
परियोजनाएं- प्रदान की गई तथा कार्यान्वयनाधीन		
परिवहन विभाग		
8.	मकलोड़गंज बस अड्डा	5
पर्यटन एवं नागरिक उद्घडयन विभाग		
9.	शिवालिक से जाखू रज्जु मार्ग	12
शहरी विकास विभाग		
10.	पार्किंग परिसर, संजौली	25
11.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	15
12.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	45
13.	पार्किंग परिसर, विकास नगर	10
14.	पार्किंग परिसर, पालमपुर	10
15.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	10
राजस्व विभाग		
16.	पार्किंग परिसर, मण्डी	75

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.3.2; पृष्ठ 26)

31.03.2015 तक विभिन्न इकाइयों/संस्थाओं से बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष जहां से वसूलियां प्रभावित नहीं हुई	विभाग	31.03.2015 तक बकाया राशि (₹)
1	6202-01-201-01-प्राथमिक शिक्षा	2001-02	निदेशक, शिक्षा	9,68,718
2	6215-01-190-नगर पालिकाओं को ऋण	2010-11	निदेशक, शहरी विकास	61,520
3	6216-80-201-01-हिमाचल प्रदेश आवासीय को ऋण	2009-10	निदेशक, आवासीय	1,16,00,496
4	6217-01-800-01-सुधार न्यास के लिए ऋण	2001-02	निदेशक, शहरी विकास	1,42,984
5	6217-60-800-01-ब्याजरहित ऋण	2008-09		2,00,00,000
6	6217-03-191-01-स्थानीय निकायों को ऋण	1995-96		3,54,657
7	6217-01-191-01-निगम को ऋण	1998-99		53,43,924
8	6225-02-796-01- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1994-95	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं रोजगार	1,86,955
9	6245-01-796-01- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2003-04	राजस्व	55,294
10	6401-00-190-03-हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग पैकेजिंग सीमित को ऋण	2007-08	निदेशक, बागवानी	3,84,58,277
11	6401-00-800-02- हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय को ऋण	1992-93	निदेशक, कृषि	5,61,65,405
12	6425-00-108-01-वाहनों की खरीद	2004-05	पंजीयक, सहकारी सोसायटी	26,284
13	6425-00-108-03-मशीनरी एवं उपकरण	2004-05		33,297
14	6425-00-108-04-आवासीय सहकारिताओं को ऋण	1995-96		13,79,983
15	6425-00-108-06-मछुआरों की सहकारिताओं को ऋण	1987-88		6,85,757
16	6425-00-108-07-औद्योगिक सहकारिताओं को ऋण	1987-88		60,93,356
17	6425-00-108-08-उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण	1995-96		16,91,437
18	6408-01-101-01-उपार्जन एवं आपूर्ति	2005-06	निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	6,12,300
19	6403-00-103-01-कुकुट विकास	2005-06	निदेशक, पशु पालन	15,882
20	6408-01-190-01-उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण	2004-05	निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	22,32,523
21	6408-02-190-01-हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग	2004-05		7,28,348
22	6408-01-796-01- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2003-04		14,89,530
23	6515-00-102-01-सामुदायिक विकास	2008-09	निदेशक, पंचायती राज	1,07,932
24	6801-00-800-01-सामाज्य प्रयोजनों के लिए विद्युत बोर्ड को ऋण	2000-01	बहुउद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	64,30,55,132
25	6851-00-200-01-उद्यमों को ब्याजमुक्त ऋण	2007-08	निदेशक, उद्योग	61,64,372
26	7465-00- 101-01-सामाज्य वित्तीय संस्थाएं	1987-88	वित्त निगम	10,00,000
			योग	79,86,54,363

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एवं वित्त लेखे

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 44)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व- दत्तमत्त						
1.	06	आबकारी एवं कराधान	48.54	50.11	1.57	-
2.	11	कृषि	245.92	256.80	10.88	-
3.	12	बागवानी	183.93	188.03	4.10	-
4.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,699.84	2,173.90	474.06	28
5.	23	विद्युत विकास	392.15	393.41	1.26	-
राजस्व-प्रभारित						
6.	29	वित्त	2,750.00	2,849.14	99.14	-
पूंजीगत-दत्तमत्त						
7.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	48.94	51.34	2.40	-
8.	23	विद्युत विकास	422.95	447.76	24.81	-
पूंजीगत-प्रभारित						
9.	29	वित्त	7,292.98	8,259.81	966.83	-
योग			13,085.25	14,670.30	1585.05	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 44)

नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य

(₹ करोड़)

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2009-10	19 अनुदान 1 विनियोजन	1,2,4,5,6,7,8,10,13,14,16, 19,23,25,26,27,28,29 तथा 32 10	887.80	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेजी गई। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2010-11	19 अनुदान 2 विनियोजन	1,4,5,7,9,10,11,12,13,14, 16,18,23,26,27,29,30,31 तथा 32 2 तथा 10	2237.64	
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9,10,13,15,21 तथा 23 29	752.51	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/बचत आधिक्य के विनियमन पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2012-13	11 अनुदान 3 विनियोजन	1,2,3,10,11,13,14,18,19, 21 तथा 23 2,3 तथा 29	703.08	
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2,3,4,5,10,13,16,17,21 तथा 28 2,7 तथा 9	474.86	
योग			5,055.89	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ 44)

नियमन के लिए अपेक्षित 2014-15 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य

(₹)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	02-राज्यपाल तथा मन्त्रि-परिषद	10,47,28,000	10,60,19,255	12,91,255
2.	06-आबकारी एवं कराधान	48,54,07,550	50,10,67,030	1,56,59,480
3.	11-कृषि	2,45,92,01,000	2,56,79,60,570	10,87,59,570
4.	12-बागवानी	1,83,92,88,383	188,03,27,073	4,10,38,690
5.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	16,99,83,56,000	21,73,90,19,337	4,74,06,63,337
6.	23-विद्युत विकास	3,92,15,48,812	3,93,40,90,790	1,25,41,978
राजस्व-प्रभारित				
7.	01-विधान सभा	43,41,000	43,87,530	46,530
8.	10-लोक निर्माण कार्य-सङ्केत, युल एवं भवन	10,13,000	10,13,092	92
9.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	-	1,00,000	1,00,000
10.	29-वित्त	27,50,00,08,000	28,49,14,12,553	99,14,04,553
11.	31-जनजातीय विकास	-	1,20,552	1,20,552
पूँजीगत-दत्तमत्त				
12.	01-विधान सभा	1,72,03,000	1,73,83,000	1,80,000
13.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	48,93,97,000	51,33,87,094	2,39,90,094
14.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	10,48,00,000	10,95,30,313	47,30,313
15.	29-विद्युत विकास	4,22,95,00,000	4,47,75,99,000	24,80,99,000
पूँजीगत-प्रभारित				
16.	29-वित्त	72,92,98,41,000	82,59,81,34,014	9,66,82,93,014
योग		1,31,08,46,32,745	1,46,94,15,51,203	15,85,69,18,458 अर्थात् ₹ 1,585.69 करोड़

परिशिष्ट-2.4(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.3; पृष्ठ 45)
2014-15 के दौरान प्रावधानरहित व्यय

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	प्रावधानरहित व्यय की राशि
04-सामान्य प्रशासन		
1.	2075/00/101/01 (जागीरदारों को मुआवजा भुगतान)	0.06
05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन		
2.	2030/02/101/01 (केन्द्रीय भण्डार नासिक)	1.66
3.	2245/80/102/02 (13वें वित्तायोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण पर व्यय)	4.00
4.	2506/00/102/01 (मुख्यालय स्थापना)	0.01
09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
5.	2059/01/053/50 (तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत आई.जी.एम.सी. भवन का रखरखाव)	0.35
10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन		
6.	2059/80/053/01 (कार्य प्रभारित स्थापना)	0.04
7.	3054/03/103/01 (कार्य प्रभारित स्थापना-मरीनरी व उपस्कर)	0.20
8.	3054/03/103/03 (कार्य प्रभारित स्थापना -सड़क निर्माण कार्य)	0.03
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता		
9.	4215/01/102/08 (हैण्ड पम्प)	0.46
14-पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन		
10.	2216/05/053/03 (अन्य रखरखाव व्यय मत्स्य पालन विभाग)	0.03
15-आयोजना एवं पिछ़ा क्षेत्र उपयोजना		
11.	3451/00/101/03 (क्षेत्रीय व जिला आयोजना स्थापना)	0.02
19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता		
12.	2225/01/001/01 (निदेशालय)	0.01
29-वित्त		
13.	7610/00/202/01 (मोटर कार के क्रयार्थ सरकारी कर्मचारियों का ऋण)	0.02
31-जनजातीय विकास		
14.	2215/01/796/04, 05 व 06 (स्टॉक, स्टॉक विनिर्माण व विविध लोक निर्माण अग्रिम)	1.86
15.	2251/00/796/03 (मूलाधार सुविधाओं पर व्यय)	3.80
16.	2401/00/796/44 व 45 (तिलहन दालों, पाम आयल व मक्की एकीकृत स्कीम व राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन)	0.47
17.	2702/80/796/08, 09 व 10 (स्टॉक, स्टॉक विनिर्माण व विविध लोक निर्माण अग्रिम)	6.55
32-अनुसूचित जाति उप-योजना		
18.	2210/05/789/02 (सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन)	1.97
19.	2801/80/789/01 (बिद्युत बोर्ड को सहायता)	12.59
20.	4215/01/789/03 व 05 (हैण्ड पम्प व त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम)	1.67
	योग	35.80

स्रोत: विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ 45)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	03-न्याय प्रशासन	117,79,31	114,76,72	3,02,59	1,48,99
2.	04- सामान्य प्रशासन	133,87,12	133,61,47	25,65	9,80,76
3.	05- भ राजस्व एवं जिला प्रशासन	470,58,59	457,05,67	13,52,92	22,67,84
4.	08-शिक्षा	3908,46,62	3700,75,16	207,71,46	177,65,56
5.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1120,15,06	1095,46,80	2,46,826	127,20,59
पूंजीगत-दत्तमत्त					
6.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	45,00,00	43,71,25	1,28,75	5,15,00
योग		5795,86,70	5545,37,07	250,49,63	343,98,74 अर्थात् ₹ 343.99 करोड़

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ 45)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत							
1.	06	आबकारी एवं कराधान	44.33	4.21	48.54	50.11	1.57
2.	11	कृषि	244.90	1.02	245.92	256.80	10.88
3.	12	बागवानी	140.74	43.19	183.93	188.03	4.10
4.	23	विद्युत विकास	337.04	55.12	392.16	393.41	1.25
पूँजीगत-दत्तमत							
5.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	15.12	33.82	48.94	51.34	2.40
6.	23	विद्युत विकास	375.33	47.62	422.95	447.76	24.81
पूँजीगत-प्रभारित							
7.	29	वित्त	1,510.96	5,782.02	7,292.98	8,259.81	966.83
योग			2,668.42	5,967.00	8,635.42	9,647.26	1,011.84

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 45)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/बचत (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	5	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-103-02 (एन.पी.)	(-) 15.16	1.07
2.			2030-02-101-01 (एन.पी.)	(-) 1.07	1.66
3.			2053-00-093-01 (एन.पी.)	(-) 12.62	2.22
4.			2245-80-102-02 (एन.पी.)	(-) 4.00	4.00
5.			2506-00-102-02 (एन.पी.)	0.01	(-) 1.05
6.	10	लोक निर्माण कार्य-सङ्केत, पुल एवं भवन	2059-80-053-04 (एन.पी.)	(-) 10.38	1.63
7.			2059-00-053-06 (एन.पी.)	2.19	(-) 12.33
8.			3054-03-103-05 (एन.पी.)	(-) 2.53	(-) 1.23
9.			3054-03-103-10 (एन.पी.)	(-) 30.03	(-) 1.63
10.			3054-03-103-11 (एन.पी.)	(-) 9.91	(-) 37.84
11.			3054-03-103-14 (एन.पी.)	(-) 9.99	(-) 2.02
12.			3054-04-105-02 (एन.पी.)	(-) 21.50	6.66
13.			3054-04-105-06 (एन.पी.)	(-) 49.85	(-) 40.00
14.			3054-04-105-07 (एन.पी.)	(-) 49.85	(-) 2.93
15.			3054-80-001-01 (एन.पी.)	(-) 8.94	(-) 1.32
16.			5054-04-337-02	5.00	(-) 2.10
17.	11	कृषि	2401-00-001-02 (एन.पी.)	(-) 2.98	1.53
18.			2415-01-004-02	16.34	9.14
19.	12	बागवानी	2401-00-119-53	(-) 1.77	(-) 1.09
20.			2401-00-119-56	7.74	7.26
21.	13	सिचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-001-02(एन.पी.)	(-) 25.14	8.19
22.			2215-01-101-02(एन.पी.)	9.95	1.07
23.			2215-01-101-04(एन.पी.)	(-) 2.72	5.77
24.			2215-01-102-03(एन.पी.)	8.97	2.18
25.			2215-01-102-12(एन.पी.)	(-) 15.63	77.98
26.			2702-80-001-01(एन.पी.)	(-) 35.51	4.80
27.			2702-80-001-02(एन.पी.)	(-) 24.42	30.08
28.			2702-80-001-06(एन.पी.)	(-) 3.34	7.32
29.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	2403-00-101-01 (एन.पी.)	(-) 7.23	(-) 1.35
30.	29	वित्त	2049-01-101-66 (एन.पी.)	18.76	3.34
31.			2049-01-101-67 (एन.पी.)	28.50	3.34
32.			2049-01-101-71 (एन.पी.)	6.72	3.34
33.			2049-01-122-01 (एन.पी.)	15.85	7.23
34.			2049-01-200-08(एन.पी.)	9.99	4.80
35.			2049-03-104-01(एन.पी.)	(-) 41.80	118.40
36.			2071-01-101-03 (एन.पी.)	(-) 115.00	186.71
37.			2071-01-102-02 (एन.पी.)	(-) 57.00	(-) 109.95
38.			2071-01-105-02 (एन.पी.)	(-) 114.22	11.28
39.			2071-01-111-01 (एन.पी.)	4.32	(-) 1.24

1.	2.	3.	4.	5.	6.
40.			2071-01-115-01 (एन.पी.)	(-) 34.52	(-) 55.62
41.			2071-01-117-01 (एन.पी.)	18.14	(-) 45.27
42.			6003-00-110-01 (एन.पी.)	35.48	595.58
43.	31	जनजातीय विकास	2215-01-796-09 (एन.पी.)	(-) 4.83	1.20
44.			3054-04-796-03 (एन.पी.)	(-) 3.62	6.20
45.			3054-04-796-04 (एन.पी.)	(-) 3.59	3.72
46.			4215-01-796-14	5.77	(-) 4.15
47.			4215-01-796-14	5.77	(-) 4.25
48.			5054-03-796-02	(-) 7.92	(-) 3.44
49.			2210-05-789-02	1.97	(-) 1.34
50.	32	अनुभूचित जाति उप-योजना	2210-05-789-02	(-) 1.97	1.97
51.			2801-80-789-01	(-) 12.59	12.59
52.			4215-01-789-08	29.31	(-) 2.26
53.			4711-01-789-10	10.51	3.32
54.			5054-03-789-02	(-) 7.12	(-) 2.32

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 45)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कोर/सेवा	जनवरी-मार्च 2015 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2015 में किया गया व्यय	2014-15 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2015	मार्च 2015
1.	05-भू राजस्व व जिला प्रशासन	2029-00-103-03	15.23	15.23	15.34	99	99
2.	10-लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	4059-01-051-12	10.60	10.60	10.92	97	97
3.	10-लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	4216-01-106-01	11.05	11.05	16.52	67	67
4.	10-लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	5054-03-337-04	17.89	17.89	33.43	54	54
5.	10-लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	5054-03-337-06	105.59	105.59	205.59	51	51
6.	10-लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन (प्रभारित)	5054-04-337-02	16.08	16.08	21.49	75	75
7.	12-उद्यान	2401-00-119-56	27.50	27.50	36.03	76	76
8.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-102-12	227.34	187.65	313.26	73	60
9.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-20-800-02	12.47	12.47	12.47	100	100
10.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-21-800-01	10.34	10.34	10.44	99	99
11.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702-00-101-06	21.68	21.68	33.60	65	65
12.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4705-00-313-01	15.29	15.29	18.74	82	82
13.	14-पशुपालन, डेरी विकास व मत्स्य पालन	2403-00-800-01	11.50	11.50	18.80	61	61
14.	23-विद्युत विकास	2801-80-101-07	330.00	330.00	330.00	100	100
15.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-07	17.93	17.93	17.93	100	100
16.	23-विद्युत विकास	6801-00-190-02	66.01	66.01	66.01	100	100
17.	27-श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	4202-02-105-01	10.30	10.30	12.30	84	84
18.	27-श्रम रोजगार व प्रशिक्षण	4201-02-105-03	14.33	14.33	19.00	75	75
19.	29-वित्त	6003-00-108-02 (प्रभारित)	32.39	32.39	32.39	100	100
20.	31-जनजातीय विकास	3054-04-796-05	43.30	43.30	49.62	87	87
21.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-10	11.65	11.65	11.65	100	100
22.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4215-01-789-08	30.23	30.23	55.71	54	54
23.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4702-00-789-06	12.11	12.11	18.33	66	66

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 46)

**विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण
(₹ करोड़)**

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशत (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	03	न्याय प्रशासन	119.28	4.52	
2.	04	सामान्य प्रशासन	143.68	10.06	
3.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	493.26	36.21	
4.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	799.90	9.14	
5.	08	शिक्षा	4,086.12	385.37	
6.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,247.36	151.89	
7.	10	लोक निर्माण कार्य-सङ्गठन, पुल एवं भवन	2,445.98	6.03	
8.	14	पशु पालन, दुर्घट विकास एवं मतिस्यकी	259.15	6.72	
9.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	58.45	11.61	
10.	16	बन एवं बन्य-प्राणी	391.16	3.39	
11.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	72.68	5.20	
12.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	501.11	1.06	
13.	20	ग्रामीण विकास	948.43	109.86	
14.	21	सहकारिता	34.93	5.26	
15.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	241.54	28.04	
16.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	24.23	1.45	
17.	25	सड़क एवं जल परिवहन	176.82	1.41	
18.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	187.64	61.81	33
19.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण आयोजना तथा आवास	193.56	5.58	
20.	29	वित्त	3,546.79	581.48	
21.	30	विविध सामान्य सेवाएं	72.62	4.80	
22.	31	जनजातीय विकास	758.82	5.95	
23.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	692.60	17.15	
पूँजीगत-दत्तमत्त					
24.	04	सामान्य प्रशासन	2.00	2.00	100
25.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	50.15	6.44	
26.	10	लोक निर्माण कार्य-सङ्गठन, पुल एवं भवन	623.73	11.83	
27.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	531.72	8.96	
28.	29	वित्त	11.02	5.49	50
29.	31	जनजातीय विकास	199.81	7.17	
30.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	662.47	9.27	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 47)

वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹10 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	03	2014-00-105-04	485.00	416.40	86
2.	04	3425-60-001-02	143.00	125.48	88
3.	04	4235-02-800-03	200.00	200.00	100
4.	08	2059-01-053-70	898.00	454.18	51
5.	08	2202-01-102-01	130.00	130.00	100
6.	08	2202-01-102-02	140.00	140.00	100
7.	08	2202-01-102-03	17.00	17.00	100
8.	08	2202-02-109-05	855.00	526.00	62
9.	08	2202-02-109-06	2,937.10	2,085.77	71
10.	08	2202-02-110-01	100.00	100.00	100
11.	08	2202-04-103-05	33.00	33.00	100
12.	08	2225-03-277-06	329.00	329.00	100
13.	09	2210-06-101-05	112.88	104.76	93
14.	09	4210-03-101-01	796.00	471.60	59
15.	10	3054-04-105-03	4,161.51	4,161.51	100
16.	10	3054-04-105-05	688.78	594.66	86
17.	12	4401-00-119-04	100.00	70.00	70
18.	13	4711-01-800-16	72.81	72.81	100
19.	15	5475-00-800-05	53.00	53.00	100
20.	20	2515-00-101-09	2,544.00	1,720.00	68
21.	25	5055-00-050-03	75.00	67.50	90
22.	27	2230-03-003-09	9,900.00	5,982.92	60
23.	28	2217-80-191-04	25.00	25.00	100
24.	28	2217-80-192-10	148.54	106.56	72
25.	29	7610-00-800-04	500.00	434.86	87
26.	30	2204-00-001-02	118.50	118.50	100
27.	31	2401-00-796-45	38.20	38.20	100
28.	31	2851-00-796-01	47.93	47.93	100
29.	32	2216-03-789-02	795.00	452.80	57
30.	32	2501-06-789-02	428.00	413.97	97
31.	32	2501-06-789-03	122.00	122.00	100
32.	32	2801-80-789-01	1,259.00	1,259.00	100
33.	32	2852-00-789-01	377.00	377.00	100
34.	32	3054-04-789-01	500.00	252.69	51
योग			29,130.25 अर्थात् ₹ 291.30करोड़	21,504.10 अर्थात् ₹ 215.04करोड़	

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भः परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 47)

वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्ष)	अभ्यर्पण की राशि
1.	2.	3.	4.
1.	04-सामान्य प्रशासन	धर्मशाला में युद्ध स्मारक संग्रहालय (4235-02-800-03)	200.00
		संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
2.	08-शिक्षा	गैर-सरकारी प्राथमिक स्कूल (2202-01-102-01)	130.00
		संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
3.	08-शिक्षा	गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूल (2202-01-102-02)	140.00
		संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
4.	08-शिक्षा	निजी पाठशालाओं में कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति (2202-01-102-03)	17.00
		संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
5.	08-शिक्षा	गैर-सरकारी सैकण्डरी स्कूल (2202-02-110-01)	100.00
		संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
6.	08-शिक्षा	साक्षर भारत योजना (2202-04-103-05)	33.00
		संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
7.	08-शिक्षा	अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (2225-03-277-06)	329.00
		छात्रवृत्ति पर शून्य व्यय के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
8.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	तेरहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अन्तर्गत सड़कों के रखरखाव पर व्यय (3054-04-105-03)	4,161.51
		संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
9.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	जिला कुल्लू में पलचन से ओट तक चैनलाइजेशन (4711-01-800-16)	72.81
		कार्य निष्पादन न किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
10.	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास का निर्माण (5475-00-800-05)	53.00
		भवनों के निर्माण पर शून्य व्यय के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
11.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण आयोजना तथा आवास	स्वर्ण जंयंती शहरी रोजगार योजना-केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (2217-80-191-04)	25.00
		केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
12.	30-विविध सामान्य सेवायें	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (2204-00-001-02)	118.50
		केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश के रूप में निधियां अवमुक्त न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
13.	31-जनजातीय विकास	राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन (2401-00-796-45)	38.20
		राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत अनुदान कम अवमुक्त करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
14.	31-जनजातीय विकास	उद्योग स्कीम पर व्यय (2851-00-796-01)	47.93
		सामग्री की शून्य खरीद के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
15.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2501-06-789-03)	122.00
		केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
16.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	विद्युत बोर्ड को सहायता (2801-80-789-01)	1,259.00
		इस राशि के इक्विटी में रूपान्तरण के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
17.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	राज्य कला उद्योग के सूजन पर व्यय (2852-00-789-01)	377.00
		राज्य कला उद्योग क्षेत्रों के सूजन हेतु इस राशि के पूँजीगत प्रवर्ग में हस्तान्तरण के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।	
योग			7,223.95 अर्थात् ₹72.23 करोड़

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ 47)

31 मार्च 2015 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	05	2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	175.82	55.15	31
2.	08	2202-सामान्य शिक्षा	4,068.84	376.93	09
3.	09	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	976.16	95.48	10
4.	09	2211-परिवार कल्याण	267.87	56.92	21
5.	10	2059-लोक निर्माण	485.17	28.47	06
6.	10	3054-सड़के एवं पुल	1,949.54	232.34	12
7.	13	2702-लघु सिंचाई	512.11	49.78	10
8.	20	2505-ग्रामीण रोजगार	402.26	20.17	5
9.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	489.99	77.54	16
10.	22	2408-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागारण	227.48	24.34	11
11.	23	6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	227.51	55.72	24
12.	27	2230-श्रम एवं रोजगार	149.90	61.58	41
13.	29	2049-ब्याज भुगतान	2,750.00	59.54	02
14.	29	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3,496.08	428.49	12
15.	31	3054-सड़के एवं पुल	157.34	13.70	09
16.	32	2801-विद्युत	12.59	12.59	100
योग			16,348.66	1,648.74	

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 49)
निधियों को सरकारी लेखों के बाहर रखना

(₹ लाख)

क्रमांक	विभाग/कार्यालय	आहुत राशि	उद्देश्य	आहरण का वर्ष	अप्रयुक्त राशि	बैंक का नाम जहां निधियों को रखा गया था	विभागों द्वारा बताए गए कारण
महिला एवं बाल विकास विभाग							
1.	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग	61.32	बर्तनों की खरीद	2007-08	61.32	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, कसुम्पटी, शिमला	आपूर्ति कर्ता द्वारा पहले तो आपूर्ति आदेश पूर्ण न किये जाने एवं तत्पश्चात दर संविदा को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
2.		37.67	शिशु विद्यालय किट	2012-13	37.67	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शिमला ईस्ट	यह शेष राशि किट को निम्न दर पर प्राप्त करने के कारण है।
3.		14.56	पानी की टंकी	2013-14	14.56	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, शिमला ईस्ट	कागड़ा एवं चम्बा के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अपूर्ण आपूर्ति आदेश जारी किये जाने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी।
ग्रामीण विकास विभाग							
4.	खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू	1.12	महिला मण्डलों को प्रोत्साहन अनुदान	2013-14	1.12	पंजाब नेशनल बैंक, कुल्लू	महिला मण्डलों की प्रोत्साहन सूची को अन्तिम रूप प्रदान न किये जाने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी।
5.	खण्ड विकास अधिकारी, कल्पा स्थित रिकांगपिओ	3.04	संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना (अब निर्मल भारत अभियान)	2012-13 एवं 2013-14	3.04	हिमाचल ग्रामीण बैंक, रिकांगपिओ एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, रिकांगपिओ	महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना के लिए महिला मण्डलों के चयन हेतु पात्र दावों की अपेक्षित संख्या प्राप्त न होने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं की जा सकी।
योग		117.71				117.71	

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ 49)

(i) 2010-15 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार व्यौरा

(₹ करोड़)

वर्ष	सार आकस्मिक बिल		विस्तृत आकस्मिक बिल		सार आकस्मिक बिलों की प्रतिशतता के रूप में विस्तृत आकस्मिक बिल	बकाया सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2010-11	22	3.77	2	0.0023	9	20	3.77
2011-12	9	3.49	-	-	-	9	3.49
2012-13	30	15.39	-	-	-	30	15.39
2013-14	23	5.53	-	-	-	23	5.53
2014-15	68	19.60	32	1.83	47	36	17.77
योग	152	47.78	34	1.83		118	45.95

(ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति

(₹)

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
1.	आयुर्वेद	65	19,73,05,265
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	38	25,89,71,669
3.	श्रम एवं रोजगार	4	11,500
4.	स्वास्थ्य सुरक्षा व विनियमन	4	20,200
5.	भाषा एवं संस्कृति	1	18,20,000
6.	युवा सेवाएं व क्रीड़ा	1	12,00,000
7.	अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध क्रीड़ा सेवा संस्थान, मनाली	1	29,000
8.	भू-अभिलेख	1	51,040
9.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1	50,000
10.	सचिवालय प्रशासन	1	26,000
11.	महिला एवं बाल विकास	1	20,000
	योग	118	45,95,04,674 अर्थात् ₹ 45.95 करोड़

स्रोत: विभागों द्वारा आपूर्ति सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े।

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भः परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 50)

31 मार्च 2015 को पी.डी.ए. में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

₹

क्रमांक	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	शीर्ष का नाम	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1.	2.	3.	4.	5.
1	8229/110	विद्युत विकास निधि	एन.जे.पी.सी. सी.टी.ओ. (02)	217,74,77,720
2	8443/106	व्यक्तिगत जमा	हि.प्र. उच्च न्यायालय, शिमला (52)	37,27,103
3	8443/106	व्यक्तिगत जमा	आई.जी.एम.सी., शिमला (53)	14,55,800
4	8443/106	व्यक्तिगत जमा	इन्द्रिया गांधी युवा व क्रीड़ा परिसर (54)	20,14,475
5	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक (बेतार), राजधानी शिमला (18)	39,79,182
6	8443/110	पुलिस निधि जमा	पी.टी.एस., चुंगा (14)	30,61,024
7	8443/110	पुलिस निधि जमा	डॉ.आई.जी. (पी.) ट्रेनिंग, ड्रोह (12)	6,44,541
8	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, चंबा (09)	19,08,380.93
9	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, ऊना (07)	1,63,64,260
10	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, मण्डी (01)	44,73,941
11	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, नाहन (03)	59,61,505
12	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर (04)	42,07,217
13	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, कुल्लू (05)	13,80,625
14	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, सोलन (08)	45,91,205
15	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (10)	79,21,595
16	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, शिमला (13)	56,34,964
17	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, केलांग (15)	17,20,680
18	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर (16)	73,44,997
19	8443/110	पुलिस निधि जमा	पुलिस अधीक्षक, किन्नौर (17)	30,43,540
20	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगर निगम, शिमला (42)	5,39,021
21	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.पी. सन्तोषगढ़ (23)	5,506.17
22	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., चुवाई (26)	55,158
23	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	एन.ए.सी., सुजानपुर (13)	6,320
24	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, हमीरपुर (14)	8,33,275
25	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, भोटा	29
26	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, मण्डी (01)	7,17,174.71
27	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, सुदरनगर (02)	7,366.24
28	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, काल्पा (46)	83,960
29	8448/102	म्यूनिसिपल निधियां	नगरपालिका, केलांग (48)	15,524
30	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बल्ह, नेर चौक (74)	4,24,40,000
31	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पूर्ह (70)	3,08,950
32	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., निचार (71)	3,22,305
33	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भवासना (39)	3,99,94,323
34	8448/109	पंचायत निकाय निधि	जिला पारिषद, धर्मशाला (66)	7,716
35	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., आनी (64)	1,00,17,818
36	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., ऊना (26)	3,03,76,623
37	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गगरेट (27)	1,26,37,211
38	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बंगाणा (28)	1,23,78,412
39	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., अम्ब (29)	1,63,55,095
40	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कांगड़ा (30)	1,18,51,548
41	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नगरोटा बगवान (31)	1,73,70,676
42	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रायत (32)	3,02,45,474
43	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नूरपुर (33)	51,08,095
44	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., इन्दौरा (34)	2,81,01,424
45	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., परामपुर (36)	4,78,60,031
46	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नगरोटा सूरियां (37)	1,28,05,427
47	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पंचरुखी (38)	1,20,58,244
48	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बैजनाथ (40)	2,00,00,000

1.	2.	3.	4.	5.
49	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., लम्बांगांव (41)	1,52,59,031
50	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भटियात (55)	2,56,17,385
51	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सलूणी (56)	2,47,58,408.29
52	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बिलासपुर (57)	2,28,43,596
53	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., झाणदूता(58)	1,57,25,863
54	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., घुमारवी (59)	2,64,25,000
55	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., केलांग (60)	1,18,04,024
56	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कुल्लू (61)	4,71,38,078
57	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नगर (62)	51,53,200
58	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., बंजार (63)	2,01,00,000
59	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नाहन (16)	1,53,24,675.51
60	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पांवटा (17)	4,07,44,000
61	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सोलन (21)	55,08,829.32
62	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कुनिहार (22)	1,36,681
63	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., धर्मपुर (23)	60,00,000
64	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रोहडू(46)	1,00,00,000
65	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चौंतडा (06)	2,04,59,171
66	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., करसोग (07)	2,91,88,000
67	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गोपालपुर (09)	1,61,80,438
68	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सुन्दरनगर (10)	3,65,57,013
69	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., हमीरपुर (11)	47,00,000
70	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सुजानपुर (12)	54,18,177
71	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नाईन (13)	1,09,89,235
72	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भोरज (14)	53,59,619
73	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., गोहर (72)	1,50,00,000
74	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सदर मण्डी (01)	4,00,16,451
75	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., द्रेंग (04)	2,11,87,966
76	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., सिराज (05)	4,70,57,000
77	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., जुब्बल (48)	2,04,20,789
78	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चड़गांव (49)	4,30,41,180
79	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पांगी (50)	1,91,30,587
80	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चम्बा (51)	2,21,67,975.76
81	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., मेहला (52)	3,87,50,971
82	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., तीस्सा (53)	4,65,07,763
83	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कल्पा (67)	5,72,525
84	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., कण्डाघाट (24)	75,00,001
85	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., शिलाई (18)	3,23,81,528
86	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., संगराह (19)	2,50,00,000
87	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., पछाड (20)	1,01,00,292
88	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., देहरा (35)	3,16,00,000
89	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., नारकण्डा (42)	3,32,22,267
90	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चौपाल (43)	2,50,00,000
91	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रामपुर (45)	2,65,00,000
92	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., मशोबरा (47)	3,02,00,000
93	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., भरपौर (54)	2,99,00,000
94	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., निरमण्ड (65)	1,10,00,000
95	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एम.एस.एल.एम. कॉलेज, सुन्दरनगर (19)	56,180
96	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, डी.ए.वी. कॉलेज, कोटखाई (01)	71,114
97	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, आर्थ महाविद्यालय, नूरपुर (09)	4,10,004

1.	2.	3.	4.	5.
98	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एम.एस.एम.एल. कॉलेज, थुरल (08)	2,66,765
99	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य, एस.बी.एस.डी. कॉलेज, भटोली (18)	2,09,052
100	8443/106	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशक, सुन्दरनगर (73)	5,000
101	8229/103	कृषि विकास निधि	शिमला	68,305
102	8443/110	पुलिस जमा निधि	कमाण्डेण्ट, द्वितीय वाहिनी, धर्मशाला	1,74,323
103	8448/102	म्यूनिसिपल निधियाँ	एन.ए.सी., जुब्बल	86,972
104	8448/102	म्यूनिसिपल निधियाँ	एम.सी., नादोन	6,307
105	8448/102	म्यूनिसिपल निधियाँ	एन.ए.सी., अर्की	19,989
106	8448/108	राज्य आवास बोर्ड निधि	शिमला	15,050
107	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., चच्चोट	27,500
108	8448/106	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निधि	शिमला	9,90,533
109	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., रिवालसर	18,139
110	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य पं.ए.एस. कॉलेज, सुन्दरनगर	15,850
111	8449/120	विविध जमा	उपमण्डल अधिकारी (सिविल) नाहन	2,650
112	8448/109	पंचायत निकाय निधि	पी.एस., ठियोग	4,45,264
113	8449/120	विविध जमा	प्राचार्य नेशनल कॉलेज, अब्ब	81,768
			योग	361,00,33,946 अर्थात् ₹ 361.00 करोड़

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 57)

31 मार्च 2015 को बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण पत्र

(₹ लाख)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाण पत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	2011- संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधान सभाएं	2013-14	1	8.23	-	-
		योग	1	8.23	-	-
2	2029- भू-राजस्व	2013-14	10	183.00	10	183.00
		योग	10	183.00	10	183.00
3	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2012-13	4	73.50	-	-
		2013-14	9	114.36	-	-
		योग	13	187.86	-	-
4	2055- पुलिस	2013-14	1	10.00	1	10.00
		योग	1	10.00	1	10.00
5	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2013-14	18	305.00	-	-
		योग	18	305.00	-	-
6	2075- - विविध सामान्य सेवाएं	2012-13	1	14.73	-	-
		2013-14	15	158.48	3	125.27
		योग	16	173.21	3	125.27
7	2202- सामान्य शिक्षा	2010-11	182	83.91	-	-
		2012-13	11,032	26,422.03	167	91.26
		2013-14	22,638	29,184.93	9,414	24,965.94
		योग	33,852	55,690.87	9,581	25,057.20
8	2203-तकनीकी शिक्षा	2012-13	6	91.00	-	-
		2013-14	3	48.00	3	48.00
		योग	9	139.00	3	48.00
9	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2012-13	42	453.64	-	-
		2013-14	31	480.45	12	51.29
		योग	73	934.09	12	51.29
10	2205- कला एवं संस्कृति	2010-11	104	211.21	-	-
		2011-12	113	222.81	-	-
		2012-13	168	271.43	168	271.43
		2013-14	161	363.76	161	363.76
		योग	546	1,069.21	329	635.19
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य						
11	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2011-12	1	170.00	1	170.00
		2012-13	7	641.59	3	300.00
		2013-14	777	4,647.95	470	1,822.09
			785	5,459.54	474	2,292.09
12	2211- परिवार स्वास्थ्य	2013-14	9	4,816.54	9	4,816.54
			9	4,816.54	9	4,816.54
	योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)		794	10,276.08	483	7,108.63

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	शहरी विकास					
13	2217- शहरी विकास	2008–09	12	2,192.49	4	465.33
		2009–10	14	6,055.65	14	6,055.65
		2010–11	20	2,953.06	20	2,953.06
		2011–12	20	4,422.65	20	4,422.65
		2012–13	34	11,736.91	34	11,736.91
		2013–14	53	26,724.59	53	26,724.59
			153	54,085.35	145	52,358.19
14	3054- सड़क एवं पुल	2008–09	2	600.00	2	600.00
		2010–11	2	276.00	2	276.00
		2011–12	1	600.00	1	600.00
		2012–13	1	600.00	1	600.00
		2013–14	1	600.00	1	600.00
			7	2,676.00	7	2,676.00
	योग (शहरी विकास)		160	56,761.35	152	55,034.19
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
15	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2011–12	14	1,003.50	13	1,003.30
		2012–13	35	1,434.57	29	1,431.11
		2013–14	35	630.60	35	630.60
			84	3,068.67	77	3,065.01
16	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2008–09	54	380.17	44	366.60
		2009–10	44	361.56	38	156.45
		2010–11	144	985.42	84	493.74
		2011–12	459	795.13	431	716.02
		2012–13	526	1,717.97	353	839.14
		2013–14	676	2,450.70	545	2,102.09
			1,903	6,690.95	1,495	4,674.05
	योग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		1,987	9,759.62	1,572	7,739.06
17	2230- श्रम एवं रोजगार	2013–14	1	5.00	-	-
		योग	1	5.00	-	-
	सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं					
18	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2009–10	1	3.66	-	-
		2010–11	1	7.65	-	-
		2011–12	1	5.00	1	5.00
		2012–13	2	75.00	2	75.00
		2013–14	5	79.30	4	54.30
			10	170.61	7	134.30
19	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2009–10	1	49.00	1	49.00
		2010–11	1	57.22	1	57.22
		2011–12	2	48.49	-	-
		2012–13	3	231.00	1	3.00
		2013–14	4	46.00	4	46.00
			11	431.71	7	155.22
	योग (सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं)		21	602.32	14	289.52
20	2401- कृषि कर्म	2011–12	22	625.33	22	625.33
		2012–13	32	1,321.51	32	1,321.51
		2013–14	45	3,357.76	43	2,216.79
		योग	99	5,304.60	97	4,163.63

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21	2403- पशुपालन	2011-12	3	136.91		
		2012-13	30	2,379.66	30	2,379.66
		2013-14	30	2,457.92	30	2,457.92
		योग	63	4,974.49	60	4,837.58
22	2404- डेयरी विकास	2013-14	9	1,400.00	9	1,400.00
		योग	9	1,400.00	9	1,400.00
23	2405- मत्स्य पालन	2011-12	1	0.80	-	-
		2012-13	18	33.75	10	7.95
		2013-14	20	641.23	5	39.30
		योग	39	675.78	15	47.25
24	2408- खाद्य भंडारण एवं भाण्डागारण	2010-11	1	2.49	1	2.49
		2011-12	8	20.40	8	20.40
		2012-13	12	26.99	12	26.99
		2013-14	18	33.50	18	33.50
		योग	39	83.38	39	83.38
25	2425- सहकारिता	2012-13	59	99.94	12	15.68
		2013-14	56	174.52	37	106.45
		योग	115	274.46	49	122.13
	ग्राम्य विकास					
26	2216-आवास	2007-08	2	25.28	-	-
		2008-09	18	398.59	-	-
		2009-10	93	515.60	93	515.60
		2010-11	58	1,104.70	58	1,104.70
		2011-12	48	982.56	17	281.13
		2012-13	89	1,649.68	84	1,574.00
		2013-14	109	2,640.01	102	2,391.29
			417	7,316.43	354	5,866.72
27	2501- विशेष कार्यक्रम	2008-09	18	141.53	18	141.53
		2009-10	20	366.13	20	366.13
		2010-11	27	561.99	27	561.99
		2011-12	61	1,648.71	61	1,648.71
		2012-13	87	983.69	81	739.07
		2013-14	63	1,396.65	58	1,364.14
			276	5,098.71	265	4,821.59
28	2505- ग्रामीण रोजगार	2008-09	2	816.89	2	816.89
		2009-10	2	224.04	2	224.04
		2011-12	9	284.86	9	284.86
		2012-13	17	3,911.91	17	3,911.91
		2013-14	14	4,996.53	14	4,996.53
			44	10,234.23	44	10,234.23
29	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2008-09	162	1,908.92	162	1,645.69
		2009-10	337	9,042.51	337	9,042.51
		2010-11	397	10,531.28	397	10,531.28
		2011-12	353	19,652.67	353	19,652.67
		2012-13	1,624	22,348.42	412	19,172.34
		2013-14	395	27,717.68	395	27,717.68
			3,268	90,938.25	2,056	87,762.16
	योग (ग्राम्य विकास)		4,005	1,13,587.62	2,719	1,08,684.70
30	2801- विद्युत	2011-12	2	212.00	2	212.00
		2013-14	5	1,944.00	2	1,876.50
		योग	7	2,156.00	4	2,088.50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	2810- ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत	2013-14	2	50.00	2	50.00
		योग	2	50.00	2	50.00
32	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2009-10	45	332.81	-	-
		2010-11	49	679.49	-	-
		2011-12	64	844.15	26	361.69
		2012-13	71	1,596.75	52	705.10
		2013-14	109	2,513.72	102	2,276.82
		योग	338	5,966.91	180	3,343.62
33	3055- पथ परिवहन	2013-14	1	3,500.00	-	-
		योग	1	3,500.00	-	-
34	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2012-13	3	7.88	-	-
		2013-14	7	42.15	7	42.15
		योग	10	50.03	7	42.15
35	3452- पर्यटन	1998-99	1	7.00	-	-
		2010-11	7	74.51	7	74.51
		2011-12	16	706.62	16	706.62
		2012-13	12	1,000.68	12	1,000.68
		2013-14	12	1,995.06	12	1,995.06
		योग	48	3,783.87	47	3,776.87
36	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2012-13	24	717.57	24	717.57
		2013-14	48	909.03	48	909.03
		योग	72	1,626.60	72	1,626.60
37	2406-वन एवं वन्य जीव (वन लेखे)	2011-12	2	44.47	1	18.11
		2012-13	22	295.87	11	171.36
		2013-14	166	1,391.23	41	570.36
		योग	190	1,731.57	53	759.84
		2011-12	23	4,668.53	1	10.00
38	2415-कृषि अनुसंधान व शिक्षा (वन लेखे)	2012-13	22	4,838.93	1	321.00
		2013-14	40	15,443.01	24	11,145.75
		योग	85	24,950.47	26	11,476.75
		2013-14	1	53.82	-	-
39	2250-अन्य सामाजिक समुदाय	योग	1	53.82	-	-
		2013-14	17	372.31	-	-
40	3425-अन्य वैज्ञानिक	योग	17	372.31	-	-
सकल योग			42,642	3,06,548.49	15,539	2,38,739.38

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 58)

स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब (महीनों में)	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि
1.	हिंप्र० राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2013-14	1½ महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
2.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला	मई 2009	2013-14	--	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
3.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, रामपुर	मई 2009	2013-14	3 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
4.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, कांगडा	मई 2009	2013-14	1½ महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
5.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, नाहन	मई 2009	2013-14	2 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
6.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	मई 2009	2013-14	2 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
7.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, सोलन	मई 2009	2013-14	1 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
8.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, मण्डी	मई 2009	2013-14	1½ महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
9.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, ऊना	मई 2009	2013-14	2 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
10.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, चम्बा	मई 2009	2013-14	½ महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
11.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	मई 2009	2013-14	1 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
12.	जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	मई 2009	2013-14	--	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
13.	हिंप्र० भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10 से आगे	2012-13	12 महीने	2012-13	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
14.	हिंप्र० राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06	2014-15	-	2014-15	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं

परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 59)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	02	2.55	01	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	03	3.48
2.	ग्राम्य विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	01	9.20	-	-	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	राजस्व	-	-	-	-	01	0.31	-	-	-	-	01	0.02	02	0.33
9.	गृह रक्षा	-	-	-	-	02	25.37	-	-	-	-	01	0.05	03	25.42
10.	पशुपालन	-	-	-	-	01	0.17	-	-	-	-	02	0.93	03	1.10
11.	आयोजना निदेशक	-	-	01	2.97	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.97
12.	स्वास्थ्य	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.95
13.	बन	01	0.63	-	-	01	2.38	-	-	-	-	02	0.40	04	3.41
14.	लोक निर्माण	-	-	-	-	02	5.27	05	3.21	01	0.55	07	2.14	15	11.17
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	01	0.89	02	0.27	02	7.75	-	-	-	-	05	8.91
	योगः	06	6.08	08	19.68	09	33.77	09	12.51	02	3.12	13	3.54	47	78.70

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 59)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा

(₹ लाख)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	02	1.60	01	1.88	03	3.48
ग्राम्य विकास	02	4.68	00	00	02	4.68
कृषि	00	00	02	9.46	02	9.46
भू-राजस्व	00	00	01	2.57	01	2.57
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
मत्स्यपालन	01	1.28	00	00	01	1.28
पुलिस	00	00	01	0.08	01	0.08
राजस्व	01	0.31	01	0.02	02	0.33
गृह रक्षा	00	00	03	25.42	03	25.42
पशुपालन	01	0.17	02	0.93	03	1.10
आयोजना निदेशक	01	2.97	00	00	01	2.97
स्वास्थ्य	00	00	01	0.95	01	0.95
वन	00	00	04	3.41	04	3.41
लोक निर्माण	02	0.77	13	10.40	15	11.17
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.66	05	8.91
योग:	12	12.09	35	66.61	47	78.70

परिशिष्ट-3.5 (क)

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 60)

2014-15 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों का व्यौरा

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्ति	प्रतिशतता
1.	0029 भू राजस्व	13.82	16.88	81.87
2.	0045 पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	257.96	365.02	70.67
3.	0049 ब्याज प्राप्तियां	61.66	100.93	61.09
4.	0057 आपूर्ति एवं निपटान	0.06	0.06	100
5.	0058 लेखन सामग्री एवं मुद्रण	4.11	7.79	52.76
6.	0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	26.64	35.57	74.89
7.	0210 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3.00	3.35	89.55
8.	0217 नगर विकास	9.05	9.05	100
9.	0230 श्रम एवं रोजगार	4.70	7.82	60.10
10.	0235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.82	5.78	66.09
11.	0250 अन्य सामाजिक सेवाएं	0.13	0.13	100
12.	0406 वानिकी एवं वन्य प्राणी	71.31	115.78	61.59
13.	0425 सहकारिता	8.26	8.67	95.27
14.	0506 भूमि सुधार	0.27	0.27	100
15.	0515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1.82	2.50	72.80
16.	0575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.49	0.49	100
17.	0801 विद्युत	1,121.51	1,121.51	100
18.	0852 उद्योग	4.08	4.08	100
19.	1054 सड़कें व पुल	10.58	12.03	87.95
20.	1055 पथ परिवहन	1.32	1.32	100
21.	1452 पर्यटन	0.56	0.60	93.33
योग		1,605.15	1,819.63	88.22

परिशिष्ट-3.5 (ख)

(संदर्भ परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 60)

क: 2014-15 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत राजस्व व्यय का विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष-800 सहित कुल व्यय	प्रतिशतता
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएं	22.70	23.05	98.48
2.	2211	परिवार कल्याण	131.26	238.82	54.96
3.	2407	पौधरोपण	0.88	0.93	94.62
योग			154.84	262.80	58.92

ख: 2014-15 के दौरान लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष		लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 सहित कुल व्यय	प्रतिशतता
1.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3.00	3.00	100
2.	4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6.25	7.83	79.82
3.	4701	मध्यम सिंचाई	22.91	30.60	74.87
4.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजना	241.06	327.72	73.56
5.	4851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	24.39	39.26	62.12
6.	5452	पर्यटन	2.20	2.22	99.10
7.	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	85.64	85.64	100
योग			385.45	496.27	77.67

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्पालावकता अनुपात	उत्पालावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्पालावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभियुक्त होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अप्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, अर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
7.	उधार निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।
8.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
9.	गारंटियां	गारंटियां कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आक्रमिक देयताएं हैं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2015
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in